नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी (NMAET) के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना)

कृषि विभाग
बिहार, पटना

विभिन्न जिलों में आत्मा योजना के अंतर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी (NMAET) के अधीन संचालित सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु निम्नलिखित पदों पर उनके सामने अंकित पदों की संख्या के लिए ऑन–लाईन (On-line) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र बामेती, पटना के बेवसाइट www.bameti.org तथा www.krishi.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदों का नाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है –

क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	नियंत्री पदाधिकारी	शैक्षणिक योग्यता	कार्य अनुभव
1.	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक	534	जिला पदाधिकारी	• कृषि / उद्यान / कृषि अभियंत्रण / पशु चिकित्सा / मत्स्यकी / डेयरी तकनीक विषय में ग्रेडुएट **अथवा** कृषि / उद्यान / कृषि अर्थशास्त्र / कृषि विपणन / पशु चिकित्सा / डेयरी तकनीक / मत्स्यकी विषय में पोस्ट ग्रेडुएट डिग्री। • कम्प्यूटर संचालन में न्यूनतम तीन माह का सर्टिफिकेट कोर्स।	कृषि विभाग बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा संचालित अथवा संपोषित योजनाओं में कार्यालय प्रधान द्वारा जारी न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।
2.	सहायक तकनीकी प्रबंधक	1602	जिला पदाधिकारी	• कृषि / उद्यान / कृषि अभियंत्रण / पशु चिकित्सा / मत्स्यकी / डेयरी तकनीक विषय में ग्रेडुएट **अथवा** कृषि / उद्यान / कृषि अर्थशास्त्र / कृषि विपणन / पशु चिकित्सा / डेयरी तकनीक / मत्स्यकी विषय में पोस्ट ग्रेडुएट डिग्री।	–

3.	लेखापाल	534	जिला पदाधिकारी	बी. कॉम.	बिहार सरकार/भारत सरकार/अर्द्ध सरकारी/राज्य अथवा केन्द्र सरकार अधीन संचालित स्वायत्तशाषी संस्थान/कृषि संबंधी प्रतिष्ठित निजी संस्था के लेखा प्रबंधन में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रताः

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- उम्र सीमा – दिनांक 01.08.2014 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 37 वर्ष है। बिहार सरकार के द्वारा समय–समय पर प्रवृत्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पूर्व सैन्य कर्मियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। यह छूट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए तीन (03) वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पाँच (05) वर्ष अनुमान्य होगी। पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में तीन (03) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य छूट दी जायेगी बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- प्रबंध तकनीकी प्रबंधक के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कृषि अथवा कृषि से संबद्ध विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री तथा कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाणपत्र के साथ न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।
- सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कृषि अथवा कृषि संबद्ध विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री ।
- लेखापाल के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की डिग्री के साथ न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।

3. मेधा सूची का निर्धारण

- (क) प्रखंड तकनीकी प्रबंधक – कृषि/उद्यान/कृषि अभियंत्रण/पशु चिकित्सा/ मत्स्यकी/डेयरी तकनीक विषय में ग्रेडुएट डिग्री के साथ कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र के साथ न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव + निम्नवत निर्धारित बोनस अंकों को जोड़कर अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंकों की गणना की जायेगी।
    - स्नातक स्तर पर प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक
    - कृषि स्नातक – 10 अतिरिक्त बोनस अंक
    - स्नातकोत्तर उत्तीर्ण (ऊपर वर्णित विषयों में) – 10 बोनस अंक

(ख) सहायक तकनीकी प्रबंधक – कृषि/उद्यान/कृषि अभियंत्रण/पशु चिकित्सा/ मत्स्यकी/ डेयरी तकनीक विषय में ग्रेडुएट डिग्री + निम्नवत निर्धारित बोनस अंकों को जोड़कर अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंकों की गणना की जायेगी।

- स्नातक स्तर पर प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक
- कृषि स्नातक – 10 अतिरिक्त बोनस अंक
- स्नातकोत्तर उत्तीर्ण (ऊपर वर्णित विषयों में) – 10 बोनस अंक

(ग) लेखापाल – मैट्रिक, इंटर तथा स्नातक (कॉमर्स) में प्राप्त प्रतिशतों का औसत के बराबर अंक के साथ न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव + निम्नवत निर्धारित बोनस अंको को जोड़कर अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंकों की गणना की जायेगी।

- मैट्रिक, इंटर तथा स्नातक (कॉमर्स) के प्राप्त प्रतिशत का औसत के बाराबर अंक
- एम. कॉम – 10 बोनस अंक
- सी. ए. – 10 बोनस अंक

4. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जिला स्तर पर समिति निम्न प्रकार गठित होगी–

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मा शाषी परिषद	–	पदेन अध्यक्ष
उप विकास आयुक्त	–	सदस्य
जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
परियोजना निदेशक आत्मा	–	सदस्य सचिव
जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक पदाधिकारी	–	सदस्य

परियोजना निदेशक, आत्मा "नियोजन प्राधिकार" की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगें।

5. आरक्षण – सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये समय–समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में लागू होंगें।

6. आवेदन की प्रक्रिया –

- कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी एक जिले में एक अथवा एक से अधिक पद (BTM/ATM) के लिए आवेदन कर सकता है। परन्तु वही अभ्यर्थी उसी पद पर किसी दूसरे जिले से आवेदन नहीं कर सकता है।
- आवेदन ऑन–लाइन ही स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के उपरान्त निर्धारित तिथि को जिला की चयन समिति के समक्ष सभी अभ्यर्थियों का पदवार/कोटिवार प्रारूप मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी और उसे संबंधित जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
- इस प्रारूप पर कोई भी अभ्यर्थी प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर चयन समिति के सदस्य सचिव (नियोजन प्राधिकार) के समक्ष आपत्ति कर सकता है।
- आपत्ति/दावों पर विचारण के उपरान्त अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
- कॉउन्सिलिंग के पश्चात् योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा।

7. एकरारनामा – संविदा पर नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं संबंधित आत्मा की तरफ से प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के बीच एक एकरारनामा किया जायेगा।

8. संविदा के आधार पर चयन एक (01) वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक होने पर पुनः एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर, मूल्यांकन के आधार पर, सेवामुक्त किया जा सकता है।

9. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुर्ननियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

10. प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर संविदा पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार परियोजना निदेशक, आत्मा को होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मा शाषी परिषद के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

11. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

12. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण **जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मा शाषी परिषद** का होगा।

13. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व – कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में राज्य सरकार एवं अंतर्विभागीय कार्यसमूह (IDWG) द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व क्षेत्र में आत्मा योजना का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा।

14. चूँकि उक्त योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा जब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि (Fund) प्राप्त होती रहेगी।

15. आवेदन पत्र **On-line** ही स्वीकार किए जाएगें।

17. **On-line** आवेदन पत्र दिनांक 01.08.2014 से 05.09.2014 तक Submit किया जा सकता है।

प्रधान सचिव, कृषि
बिहार, पटना

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक	सहायक तकनीकी प्रबंधक	लेखापाल	कुल
1.	पटना	23	69	23	115
2.	नालंदा	20	60	20	100
3.	भोजपुर	14	42	14	70
4.	बक्सर	11	33	11	55
5.	रोहतास	19	57	19	95
6.	कैमुर	11	33	11	55
7.	गया	24	72	24	120
8.	अरवल	05	15	05	25
9.	जहानाबाद	07	21	07	35
10.	औरंगाबाद	11	33	11	55
11.	नवादा	14	42	14	70
12.	सारण	20	60	20	100
13.	सिवान	19	57	19	95
14.	गोपालगंज	14	42	14	70
15.	मुजफ्फरपुर	16	48	16	80
16.	पूर्वी चम्पारण	27	81	27	135
17.	पश्चिमी चम्पारण	18	54	18	90
18.	सीतामढ़ी	17	51	17	85
19.	शिवहर	05	15	05	25
20.	वैशाली	16	48	16	80
21.	खगड़िया	07	21	07	35
22.	कटिहार	16	48	16	80
23.	मधेपुरा	13	39	13	65
24.	किशनगंज	07	21	07	35
25.	पूर्णिया	14	42	14	70
26.	सुपौल	11	33	11	55
27.	सहरसा	10	30	10	50
28.	लखीसराय	07	21	07	35
29.	जमुई	10	30	10	50
30.	शेखपुरा	06	18	06	30
31.	बाँका	11	33	11	55
32.	मुंगेर	09	27	09	45
33.	भागलपुर	16	48	16	80
34.	बेगुसराय	18	54	18	90
35.	समस्तीपुर	20	60	20	100
36.	मधुबनी	21	63	21	105
37.	दरभंगा	18	54	18	90
38.	अररिया	09	27	09	45
	संपूर्ण योग	**534**	**1602**	**534**	**2670**